संख्या-17/2020-573/58-2020-429/2015

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव,
कृषि विभाग/सिंचाई/लघु सिंचाई/
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांक 06 मार्च, 2020**

विषयः- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत "पर ड्राप मोर क्राप" योजना का वित्तीय वर्ष 2020-21 से उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 नोडल विभाग के माध्यम से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल संचयन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अत्यन्त उपयोगी है, जिसके प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015-16 से लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों को 55 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 45 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है। शासनादेश संख्या-15/2017-1843/58-2017-429/2015 दिनांक 12.07.2017 द्वारा योजनान्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा सभी वर्ग के किसानों के लिए 35 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश अनुदान के साथ लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों के लिए 80 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था लागू करते हुए योजना कार्यान्वयन के दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। वस्तु एवं सेवाकर की अनुमन्य धनराशि तथा कृषक अंश लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है।

2- उत्तर प्रदेश में कृषि, बागवानी एवं गन्ना फसल के संहत क्षेत्र उपलब्ध हैं, जो माइक्रोइरीगेशन के अंगीकरण हेतु सुलभ है। प्रदेश के किसान इस पद्धति को अपनाने के प्रति जागरूक हुए हैं और कृषकों की मांग के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्षों में व्यापक स्तर पर माइक्रोइरीगेशन के अंगीकरण को बढ़ावा दिया जाना अपेक्षित है।

3- मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 07 जनवरी, 2020 को लघु सिंचाई विभाग के प्रस्तुतीकरण में आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 में बागवानी, कृषि एवं गन्ना फसल में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में ड्रिप एवं स्प्रिकंलर सिंचाई के आच्छादन के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के क्रम में प्रदेश में बागवानी, कृषि एवं गन्ना फसल में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई की परियोजना संरचना, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 नोडल विभाग नामित किया गया है।

क्रमशः.....2

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस कार्य हेतु निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ जिनका कार्यालय पता- उद्यान भवन, 2-सप्रू मार्ग, लखनऊ, फोन नं0-0522-4044414, मो0 9140783230, ईमेल- dirhorti@rediffmail.com, nmmiup@gmail.com है, को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

5- इस योजना का पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है-

(i) समस्त सम्बन्धित विभाग द्वारा अपनी कार्य योजना उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को यथा समय उपलब्ध करायी जायेगी जिसका परीक्षण नोडल विभाग द्वारा करते हुए समेकित कार्य योजना तैयार कर कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित अंतर्विभागीय कार्यकारी दल (आई.डी.डब्ल्यू.जी.) के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(ii) प्रदेश के समस्त किसानों के चयन की पात्रता में एकरूपता रखते हुए एक प्लेटफार्म पर आनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(iii) योजनान्तर्गत आनलाइन पंजीकरण के आधार पर कृषकों को प्रथम आवक-प्रथम पावक के सिद्धांत पर चयनित कर लाभान्वित किया जायेगा।

(iv) उद्यान विभाग द्वारा वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत क्षेत्रवार लक्ष्यों का आवंटन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य नामित एजेंसी द्वारा किया जायेगा।

इस संबंध में मा0 मुख्यमंत्री जी के पत्र सं0-सी0एम0-28/58-2020-429 /15टी0सी0-3 दिनांक 20.02.2020 द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को रु0 856.71 करोड़ की कार्ययोजना प्रेषित करते हुए केन्द्रांश रु0 309.04 करोड़ की धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया जा चुका है। प्रश्नगत योजना प्रदेश में किसानों के मध्य लोकप्रिय होने एवं उनकी आय दोगुनी किये जाने के संबंध में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में आच्छादित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

6- प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन से औद्यानिक फसलों के साथ-साथ गन्ना एवं कृषि फसलों के उपज में वृद्धि हुई है। उक्त योजना के अपनाये जाने से भूमिगत जल के दोहन में कमी आयी है तथा जल संरक्षण में वृद्धि हुई है।

7- अतः उपरोक्त के क्रम में अपने नियंत्रणाधीन समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों को निर्देशित कर योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0एल0 मीणा)
प्रमुख सचिव।

क्रमशः.....3

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-17/2020/573(1)/58-2020 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
4- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
8- कृषि निदेशक, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
10-मुख्य अभियन्ता, सिंचाई,उ0प्र0 लखनऊ।
11-मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, उ0प्र0 लखनऊ।
12-समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।
13-समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उ0प्र0।
14-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(संदीप कौर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in